न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 88/2017

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण जिला पाली		1. दयालराम पुत्र हरजी जाति गुर्जर निवासी देवनगर आनन्दपुर कालु, तहसील जैतारण, जिला पाली (राज.)

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार

–:: आदेश ::–

दिनांक : 07.03.2019

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) जैतारण द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम आनन्दपुर कालु, पटवार हल्का आनन्दपुर कालु I तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 1640 किस्म गै.मु. नदी में से ख.न. 1640/14 रकबा 10 बीघा किस्म बा.अ. के नियम विरूद्ध किए गए आवंटन को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी मो. शरीफ काजी बार--बार आवाजे लगाई जाने के बावजूद अनुपस्थित होने से अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम आनन्दपुर कालु, पटवार हल्का आनन्दपुर कालु I, तहसील जैतारण जिला पाली के खसरा नम्बर 1640 किस्म गै.मु. नदी में से ख.न. 1640/14 रकबा 10 बीघा किस्म बा.अ. भूमि का आवंटन कमरूद्दीन के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी, जैतारण ने जरिये आदेश कमांक रा. /72–75 दिनांक 26.04.1976 के द्वारा किस्म परिवर्तन गै.मु. नदी से बा.अ. कर किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश कमांक रा./72–75 दिनांक 26.04.1976 के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 600 दिनांक 28.04.1976 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 1228 दिनांक 02.08.1994 को भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम आनन्दपुर कालु, पटवार हल्का आनन्दपुर कालु I तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 1640 किस्म गै.मु. नदी में से ख.न. 1640/14 रकबा 10 बीघा किस्म

जिला कलेक्टर, पाली

बा.अ. का आवंटन कमरूद्दीन के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी, जैतारण ने जरिये आदेश क्रमांक रा./72-75 दिनांक 26.04.1976 के द्वारा किस्म परिवर्तन गै.मु. नदी से बा.अ. कर किया गया है। गैर मुमकिन नदी की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित होने से किस्म परिवर्तन कर, किया गया आवंटन विधी सम्मत नहीं है। जिसकी पालना में नायब तहसीलदार जैतारण ने नामान्तरकरण संख्या 600 दिनांक 28.04.1976 के द्वारा गैर खातेदार दर्ज किया गया। उक्त आराजी को कमरूद्दीन ने जरिये पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 19.07.1994 को दयालराम को विक्रय कर दी, जिसको नामान्तरकरण संख्या 1228 दिनांक 02.08.1994 के खातेदार दर्ज किया गया। लेकिन प्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने अपने प्रार्थना पत्र में मूल आवंटी कमरूद्दीन पुत्र मिसरू जाति सांई को पक्षकार नहीं बनाकर केवल क्रेता वर्तमान खातेदार को ही पक्षकार बनाया है तथा कमरूद्दीन पुत्र मिसरू को गैर खातेदार से खातेदार किस नामान्तरकरण से दर्ज किया गया, उस नामान्तरकरण का न तो प्रार्थना पत्र में हवाला दिया गया, न ही उसकी प्रति एवं न ही आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के संलग्न पेश की गई है। जबकि मूल आवंटी कमरूद्दीन को पक्षकार बनाया जाना तथा आवंटी को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज करने बाबत स्वीकृत नामान्तरकरण की प्रति का प्रार्थना पत्र के संलग्न किए जाने का आज्ञापक प्रावधान है। भूमिधारी द्वारा मूल आवंटी को पक्षकार न बनाकर उसे अप्रत्यक्ष रूप से भारी विधिक लापरवाही बरती है। मूल आवंटी को बिना पक्षकार बनाये बिना सुनवाई का अवसर दिए रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल में रेफरेंस किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, जैतारण को निर्णय की प्रति नए सिरे से समस्त कमी पूर्तियां करते हुए 15 दिवसों के भीतर प्रार्थना पत्र पुनः रेकर्ड सहित प्रस्तुत करने के आदेश दिए जाते है। पत्रावली इस न्यायालय से नम्बर से कम हो।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलेक्टर पाली
जिला कलेक्टर, पाली